[2019] 15 एस सी आर 93

एस. कृष्णा शारदा

वी.

आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

(2017 की सिविल अपील संख्या 1081)

13 दिसंबर, 2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षिक आरक्षण-एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश-एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए खेल और खेल श्रेणी में आरक्षण का दावा करते हुए, अपीलार्थी ने आवश्यक प्रस्तुत किया

जैस्मीन कौर मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश देने के लिए अपीलार्थी को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, हालांकि 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। यह मुद्दा कि क्या एक छात्र/मेधावी उम्मीदवार, बिना किसी गलती के और जिसने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकार का तेजी से पीछा किया, उसे राहत के रूप में प्रवेश से इनकार किया जा सकता है, क्योंकि 30 सितंबर की कट-ऑफ तिथि बीत चुकी है-यदि मुआवजा ही एकमात्र राहत है जो अदालत द्वारा दी जा सकती है -

आशा बनाम में उच्चतम न्यायालय। पं. बी. डी. शर्मा यूएचएस और चंडीगढ़ प्रशासन। वी. जैस्मीन कौर-वृहद पीठ को भेजा गया मुद्दा-आयोजितः असाधारण परिस्थितियों में, यदि अदालत अन्य बातों के साथ-साथ यह पाती है कि उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है और उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकार का तेजी से पीछा किया है, तो गलती केवल अधिकारियों की ओर से है और यदि समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित-30 सितंबर, पूर्ण न्याय करने के लिए समाप्त हो गया है, न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में और दुर्लभतम मामलों में सीटों को बढ़ाने का निर्देश देते हुए उसी वर्ष प्रवेश का निर्देश देता है, हालांकि, यह एक या दो से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए और इस तरह के प्रवेश का आदेश उचित समय के भीतर दिया जा सकता है, यानी 30 सितंबर से एक महीने के भीतर, यानी कट ऑफ डेट के तहत -

परिस्थितियों में, न्यायालय उसी वर्ष प्रवेश का आदेश देगा

30 अक्टूबर के बाद-ऐसी स्थिति में, न्यायालय श्रेणी की योग्यता सूची में सबसे नीचे उम्मीदवार को दिए गए प्रवेश को रद्द करने का आदेश भी पारित कर सकता है।

सुनवाई का अवसर यदि प्रवेश से कोई राहत नहीं मिल सकती है

उसी शैक्षणिक वर्ष में एक उम्मीदवार को दी गई, अदालत राहत को ढाल सकती है और मामले में उपयुक्त मानी जाने वाली सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देकर अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश देने का निर्देश दे सकती है-ऐसी स्थिति में, यदि -

प्रबंधन गलती में पाया गया था, न्यायालय कम करने का निर्देश दे सकता है

उस वर्ष के प्रबंधन कोटे में सीटों की संख्या-मुआवजे का अनुदान अतिरिक्त उपाय हो सकता है लेकिन संस्थागत उपचारों का विकल्प नहीं हो सकता है-जैस्मीन कौर मामले में निर्णय या उपरोक्त स्थिति के विपरीत कोई अन्य निर्णय खारिज कर दिया गया है, जबकि आशा के मामले में उपरोक्त सीमा तक पुष्टि की गई है। 14 , 19 , 21 .

भारत का संविधान-कला। 14 , 19 , 21 – प्रवेश के अवैध इनकार के मामले में उल्लंघन-चर्चा की गई।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. समान और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 का एक घटक है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय आशा ने कहा कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया प्रवेश से जुड़े प्रत्येक कानूनी प्राधिकरण का कर्तव्य है। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार के साथ उचित व्यवहार से इनकार करने से न केवल अनुच्छेद 14 के तहत उसके अधिकार का उल्लंघन होगा, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत उसके अधिकार को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा। यह घोषणा करने का एक स्वाभाविक परिणाम कि एक प्रशासनिक कार्य अधिक है

विशेष रूप से अवैध रूप से प्रवेश से इनकार करना और किसी उम्मीदवार/छात्र की कोई गलती नहीं होने पर अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है कि घायल नागरिक को उसकी मूल स्थिति में वापस लाया जाना चाहिए। इस मायने में, प्राथमिक राहत पुनर्स्थापनात्मक है। मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक मेधावी छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

छात्र/उम्मीदवार के जीवन में और एक मेधावी उम्मीदवार को प्रवेश से इनकार करना, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। चिकित्सा प्रवेश के मामले में, यहां तक कि बाद के वर्ष में एक सीट प्रदान करने के प्रतिस्थापन उपचार से एक मेधावी उम्मीदवार को एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष का नुकसान होगा, जिसकी वास्तविक रूप से भरपाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार एक मेधावी उम्मीदवार को बिना किसी गलती के चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश से इनकार करना और हालांकि उसने समय पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इसके बावजूद कोई न्यायसंगत और न्यायसंगत राहत नहीं देना न्याय से इनकार होगा। एस. कृष्ण शारदा बनाम में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण।

जैस्मीन कौर ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार को केवल यह राहत दी जा सकती है कि केवल मुआवजा ही अच्छा कानून नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि अगले शैक्षणिक वर्ष में ऐसे उम्मीदवार/छात्र को राहत देने और अगले वर्ष और स्वीकृत प्रवेश में उसे समायोजित करने से किसी अन्य उम्मीदवार/छात्र के प्रवेश पाने के अधिकार पर भी असर पड़ सकता है।

अगले शैक्षणिक वर्ष में और वह भी बिना किसी गलती के। इसलिए, असाधारण और दुर्लभतम मामलों में और मामले में जहां जैस्मीन कौर के मामले में अनुच्छेद 33.3 में निर्धारित सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, वहां न्यायालय कट ऑफ तिथि समाप्त होने के बाद भी उम्मीदवार को प्रवेश देने में असाधारण राहत दे सकता है। [पैरा 8.2] [110-ए-एच; 111-ए]

2. संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः ((i) किसी मामले में

जहां उम्मीदवार/छात्र ने जल्द से जल्द और बिना किसी देरी के अदालत का दरवाजा खटखटाया है और यह कि सवाल चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में है, संबंधित अदालत द्वारा प्राथमिकता देकर कार्यवाही के निपटारे के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। और जल्द से जल्द। ((ii) असाधारण परिस्थितियों में, यदि अदालत को लगता है कि उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है और

उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकार का तेजी से पीछा किया है और केवल अधिकारियों और/की ओर से गलती है।

या प्रवेश देने की प्रक्रिया में नियमों और विनियमों के साथ-साथ संबंधित सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है जो प्रतिस्पर्धा करने वाले के साथ समानता और समान व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन करेगा।

उम्मीदवार और यदि निर्धारित समय-30 सितंबर,

पूर्ण न्याय करने के लिए, न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में और दुर्लभतम मामलों में सीटों को बढ़ाने का निर्देश देते हुए उसी वर्ष प्रवेश का निर्देश देता है, हालांकि, यह एक या दो से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए और इस तरह के प्रवेश का आदेश उचित समय के भीतर, यानी 30 तारीख से एक महीने के भीतर दिया जा सकता है।

सितंबर, यानी कट ऑफ डेट और किसी भी परिस्थिति में, न्यायालय उसी वर्ष 30 तारीख के बाद किसी भी प्रवेश का आदेश नहीं देगा।

अक्टूबर। हालांकि, यह देखा गया है कि इस तरह की राहत केवल असाधारण परिस्थितियों में और दुर्लभतम मामलों में ही दी जा सकती है।

ऐसी घटना के मामले में, न्यायालय एक आदेश भी पारित कर सकता है।

एक ऐसे उम्मीदवार को दिए गए प्रवेश को रद्द करना जो श्रेणी की योग्यता सूची में सबसे नीचे है, जिसके पास प्रवेश के लिए [2019] 15 एस. सी. आर. होंगे।

एक अधिक मेधावी उम्मीदवार को दिया गया जिसे अस्वीकार कर दिया गया है अवैध रूप से प्रवेश, प्रवेश नहीं मिला होगा, अगर अदालत इसे उचित और उचित समझती है, हालांकि, एक अवसर देने के बाद

जहाँ भी यह पाया जाता है कि अधिकारियों की कार्रवाई मनमाने ढंग से की गई है और नियमों और विनियमों या विवरण पत्रिका का उल्लंघन है जो छात्रों के अधिकारों को प्रभावित कर रही है और एक उम्मीदवार मेधावी पाया जाता है और ऐसे उम्मीदवार/छात्र ने

जल्द से जल्द अदालत का रुख किया और बिना किसी देरी के,

अदालत राहत दे सकती है और अगले शैक्षणिक वर्ष में ऐसे उम्मीदवार को प्रवेश देने का निर्देश जारी कर सकती है।

संख्या में वृद्धि करने का निर्देश देकर उचित निर्देश

सीटें जो मामले में और ऐसी घटना के मामले में उपयुक्त मानी जा सकती हैं और यदि यह पाया जाता है कि प्रबंधन की गलती थी और गलत तरीके से मेधावी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था

उम्मीदवार, उस मामले में, न्यायालय संख्या को कम करने का निर्देश दे सकता है

उस वर्ष के प्रबंधन कोटे में सीटों की संख्या, जिसका अर्थ है कि छात्र/छात्र जिन्हें अवैध रूप से प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

प्रबंधन कोटे में आवंटित सीटों में से अगले शैक्षणिक वर्ष में समायोजित किया जाए। ((iv) क्षतिपूर्ति का अनुदान एक अतिरिक्त उपाय हो सकता है लेकिन संस्थागत उपचारों का विकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए, एक उपयुक्त मामले में न्यायालय निर्णय दे सकता है।

उसकी गलती के कारण उसे एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष गंवाना पड़ता है और कौन कर सकता है उसी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश की कोई राहत नहीं दी जाएगी। (v) उपरोक्त निर्देश एमबीबीएस में प्रवेश से संबंधित हैं।

केवल पाठ्यक्रम और हमने स्नातकोत्तर चिकित्सा के साथ काम नहीं किया है

बेशक। जैस्मीन कौर के मामले में इस न्यायालय के निर्णय या उपरोक्त स्थिति के विपरीत किसी अन्य निर्णय को खारिज कर दिया गया। आशा के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है

उपरोक्त सीमा। [पैरा 9,10] [111-बी-एच; 112-ए-एफ] [112-जी]

चंडीगढ़ प्रशासन। बनाम जैस्मीन कौर (2014) 10 एससीसी

521 [2014] 9 एस. सी. आर. 1122-खारिज।

एस. कृष्णा शारदा बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

आशा बनाम पं. बी. डी. शर्मा यूएचएस (2012) 7 एससीसी 389

[2012] 6 एससीआर 876-पुष्टि की गई।

इंदु कांत बनाम। यू. पी. राज्य (1993) पूरक। 2 एससीसी 71; एमसी

वी. मधु सिंह (2002) 7 एससीसी 258: [2002] 2 पूरक

एससीआर 228; नीलू अरोड़ा बनाम भारत संघ (2003) 3 एससीसी

366 [2003] 1 एस. सी. आर. 562; फैजा चौधरी बनाम राज्य जम्मू और कश्मीर (2012) 10 एस. सी. सी. 149: [2012] 7 एससीआर 528

छवि मेहरोत्रा बनाम। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाः

(1994) 2 एस. सी. सी. 370-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1993) पूरक। 2 एस. सी. सी 71

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

[2002] 2 पूरक। एससीआर 228

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.1

[2003] 1 एससीआर 562

पैरा 5.1

संदर्भित किया गया है

[2012] 7 एससीआर 528

पैरा 5.1

संदर्भित किया गया है

(1994) 2 एससीसी 370

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.2

[2014] 9 एससीआर 1122

खारिज कर दिया गया

पैरा 10

[2012] 6 एससीआर 876

पुष्टि की

पैरा 2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2017 से।

सर्वोच्च के 25.1.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के डब्ल्यू. पी. सं. 32710 में तेलंगाना राज्य और दक्षिण आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद में न्यायिक कार्य।

के. परमेश्वर और एम. वी. मुकुंद, अधिवक्ता। ऐप के लिए

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गौरव शर्मा, ध्रुव मोहन, पाई

मोहन, वाई. राजा गोपाल राव, सुश्री सौरज्या दास, जी. एन. रेड्डी, टी. भास्कर रेड्डी, सुश्री सुजाता बागड़ी, गुंटूर प्रभाकर और शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विचार के लिए मुद्दा यह है कि क्या एक छात्र, एक मेधावी उम्मीदवार, बिना किसी गलती के और जिसने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकार का तेजी से पीछा किया है, उसे राहत के रूप में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि 30 सितंबर की कट-ऑफ तिथि बीत चुकी है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा जो राहत दी जा सकती है, वह उचित है

केवल मुआवजा?

2. आशा बनाम पं. मामले में इस न्यायालय के फैसले के बीच संघर्ष को ध्यान में रखते हुए। बी. डी. शर्मा यूएचएस 1 और चंडीगढ़ प्रशासन। बनाम। जैस्मीन कौर 2, उपरोक्त मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है।

3. प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, दावे के समर्थन में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने के बावजूद

एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए खेल और खेल श्रेणी में आरक्षण के लिए अपीलकर्ता, उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश में उचित प्राथमिकता से वंचित कर दिया गया था। इसलिए, अपीलार्थी ने खेल और खेल श्रेणी के आरक्षित कोटे में प्रवेश के लिए तुरंत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

हालाँकि, यह पाया गया कि जिस समय याचिका पर सुनवाई की गई थी, उस वर्ष के लिए शैक्षणिक सत्र पहले ही 01.09.2015 से शुरू हो चुका था और इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसके लिए अंतिम तिथि थी।

इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने जैस्मीन कौर (सुप्रा) ने कहा कि शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश देने के लिए अपीलार्थी को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जैस्मीन कौर (सुप्रा) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय एक स्पष्ट और स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी प्राथमिकता पाने का हकदार था। यह भी पाया गया कि अपीलार्थी था प्राप्त अंकों के आधार पर दूसरों की तुलना में अधिक मेधावी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि समय सीमा समाप्त हो गई है। उच्च न्यायालय ने जैस्मीन कौर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। आशा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दुर्लभतम मामलों में, जब न्यायालय यह निष्कर्ष देता है कि (i) उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है; (ii) उम्मीदवार के पास है

1 1 (2012) 7 एससीसी 389

2 (2014) 10 एस. सी. सी. 521 एस. कृष्ण शारदा बनाम।

(3) जहां अधिकारियों की ओर से गलती है और नियमों और विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, वहां 30 सितंबर की कट-ऑफ तिथि तक एक अपवाद बनाया जा सकता है और एक अपवादात्मक मामले में न्यायालय उस मामले में भी प्रवेश के लिए निर्देश दे सकता है जहां इस न्यायालय द्वारा निर्देशित कट-ऑफ तिथि समाप्त हो गई थी। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, इसके विपरीत दृष्टिकोण को बाद में लिया गया है

जैस्मीन कौर (सुप्रा) का मामला और इसलिए, उपरोक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए मामला एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है।

4. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर

अपीलार्थी ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला केवल उन मामलों को संदर्भित करता है जहां (i) उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है; (ii) उम्मीदवार ने अपने अधिकारों और कानूनी उपायों को तेजी से और बिना देरी के आगे बढ़ाया है; (iii) जहां अधिकारियों की ओर से गलती है और नियमों और विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रवेश की राहत से इनकार किया जा रहा है क्योंकि मामला संबंधित न्यायालय में लंबित है और प्रवेश का समय समाप्त हो गया है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे मामले में भी जहां एक उम्मीदवार मेधावी है और हालांकि प्रवेश का हकदार है, लेकिन अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से और तर्कहीन रूप से अस्वीकार किया गया है और हालांकि उम्मीदवार और उम्मीदवार के लिए कोई गलती नहीं है

पीछा किया

उसके अधिकार और कानूनी उपाय शीघ्रता से और बिना किसी देरी के और जब अधिकारियों की ओर से गलती होती है और नियमों और विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन होता है, तो प्रवेश से इनकार करना ऐसे मेधावी उम्मीदवार के लिए अन्याय होगा और उसे बिना किसी गलती के दंडित करना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आशा (सुप्रा) के मामले में यह उचित रूप से देखा गया है कि दुर्लभतम मामलों में, न्यायालय, अनुच्छेद 226 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवेश देने का निर्देश दे सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रवेश का समय समाप्त हो गया है।

4.1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि

इससे पहले इस न्यायालय ने चिकित्सा प्रवेश के मामलों में विभिन्न उपायों पर विचार किया है जहां उम्मीदवारों को चिकित्सा सीटों से वंचित कर दिया गया था।

4.2 . यह विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो

अपीलार्थी कि इंदुकांत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 के मामले में, इस न्यायालय ने उसमें यह मत व्यक्त किया है कि जहां उम्मीदवार को पाया जाता है मेधावी, उन्हें अगले वर्ष इस निर्देश के साथ समायोजित किया जा सकता है कि अगले वर्ष सीटें बढ़ाई जाएं।

3 1993 पूरक (2) एस. सी. सी. 71 [2019] 15 एस. सी. आर.

4.3 . अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उम्मीदवार मेधावी पाया जाता है और उसे प्रवेश से अधिक वंचित कर दिया जाता है

विशेष रूप से एम. बी. बी. एस. जैसे पाठ्यक्रमों में और शीघ्रता से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, केवल मुआवजे की राहत देने के लिए न्यायसंगत और न्यायसंगत राहत नहीं कहा जा सकता है।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि समान और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 का एक घटक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए

4.5 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि क्षतिपूर्ति एक अतिरिक्त उपाय हो सकता है लेकिन प्रतिस्थापन उपचार का विकल्प नहीं हो सकता है। इसे प्रस्तुत किया जाता है। कि चिकित्सा प्रवेश के मामले में, यहां तक कि बाद के वर्ष में एक सीट प्रदान करने के प्रतिस्थापन उपचार से भी एक पूर्ण सीट का नुकसान होगा

एक मेधावी उम्मीदवार का शैक्षणिक वर्ष, जिसकी वास्तविक रूप से भरपाई नहीं की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान किया जा सकता है लेकिन मेधावी उम्मीदवार को प्रवेश से इनकार करने के बाद भी

आशा (सुप्रा) में पैरा 32 में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों में कट-ऑफ तिथि की क्षतिपूर्ति मौद्रिक संदर्भ में नहीं की जा सकती है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि किसी मौलिक अधिकार का मूल्य और प्रवर्तन इस पर निर्भर करता है - उपचारों की प्रकृति जो न्याय की एक अदालत बना सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 32 और 226 की शक्ति को संकुचित तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए ताकि उपचार के दायरे को सीमित किया जा सके। यदि अदालतों के पास उपचार, उचित और पर्याप्त उपचार करने की शक्ति नहीं है, तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अर्थहीन हो जाएगा। यह केवल संवैधानिक उपचार का सिद्धांत नहीं है, बल्कि समानता का नियम भी है।

4.6 . अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्षतिपूर्ति और संवैधानिक अपकृत्य ऐसे मामले हैं जहाँ

वास्तविक रूप से पुनर्स्थापना असंभव है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्षतिपूर्ति एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इस मामले में कहा गया है

जैस्मीन कौर (सुप्रा)।

5. एमसीआई की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री विकास सिंह ने जैस्मीन एस. कृष्णा शारदा बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले का समर्थन किया है।

कौर (सुप्रा)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा प्रवेश के लिए निर्धारित समय, अर्थात् 30 सितंबर का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी परिस्थिति में पटरी से न उतरने दिया जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित समय सारिणी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इसे किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय या बोर्ड द्वारा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया था कि पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद मध्य-धारा में तकनीकी पाठ्यक्रमों में कोई प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही उसी वर्ष रिक्त सीटें हों। 5.1 . एम. सी. आई. के विद्वान वकील श्री विकास सिंह द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने एम. सी. आई. बनाम मधु सिंह 1 में अभिनिर्धारित किया है, और

नीलू अरोड़ा बनाम भारत संघ 3, यहां तक कि एक वर्ष की खाली सीटों को भी अगले वर्ष की अनुमेय सीटों में दूरबीन नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि खाली सीटों को एक वर्ष से अगले वर्ष तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे प्रभावी रूप से अगले वर्ष सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने राय दी है कि एक चिकित्सा सीट का जीवन केवल उसी वर्ष होता है जब वह गिरती है और अगले वर्ष में एक रिक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। समर्थन में, उन्होंने फैजा चौधरी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मामले में इस अदालत के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

मेधावी; उन्हें अगले वर्ष इस निर्देश के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता है कि अगले वर्ष सीटें बढ़ाई जाएं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीटों की संख्या नियमों के अनुसार एमसीआई द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, और बुनियादी ढांचे की परवाह किए बिना अंधाधुंध रूप से नहीं बढ़ाई जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा छवी मेहरोत्रा बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायालय निर्देश जारी करने में उदार नहीं हो सकते हैं जो प्रभावी रूप से अधिकारियों को अपने स्वयं के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने का निर्देश देने के बराबर है। 5.3 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, यह देखने के लिए कि एक मेधावी छात्र को उसकी कोई गलती नहीं होने के कारण पीड़ित नहीं किया जाता है

और दुर्लभतम मामलों या असाधारण परिस्थितियों में, व्यायाम करते समय

4 (2002) 7 एस. सी. सी. 258

5 (2003) 3 एस. सी. सी. 366

6 (2012) 10 एससीसी 149 7 (1994) 2 एससीसी 370 [2019] 15 एस. सी. आर.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियां,

अकेले न्यायालय राहत प्रदान कर सकता है और सामान्य नियम से विचलित हो सकता है।

5.4 . एमसीआई की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री विकास सिंह ने आगे कहा कि हालांकि, यह दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम है।

असाधारण परिस्थितियां जब यह पाया जाता है कि उम्मीदवार की ओर से कोई गलती नहीं है और संबंधित प्राधिकारी की ओर से घोर लापरवाही या निष्क्रियता के कारण या कुछ अप्रत्याशित कारणों से मेधावी उम्मीदवार को चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में ही न्यायालय उम्मीदवार को राहत देने पर विचार कर सकता है, या तो मुआवजे के रूप में या यह निर्देश देकर कि उम्मीदवार को स्वीकृत सीटों के कोटे में समायोजित किया जा सकता है।

अगले शैक्षणिक सत्र के लिए उपलब्ध। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि केवल उन मामलों में जहां न्यायालय संतुष्ट है कि मौद्रिक मुआवजा

उम्मीदवार को हुई चोट के निवारण के लिए पर्याप्त नहीं होगा, फिर और उसके बाद ही अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्र को समायोजित करने के लिए यह निर्देश पारित किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि दुर्लभतम मामलों में और असाधारण परिस्थितियों में इस तरह की राहत देते समय, एक उम्मीदवार को बिना किसी देरी के अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए; उम्मीदवार को कॉलेज में भर्ती अंतिम छात्र की तुलना में योग्यता सूची में अधिक होना चाहिए और उम्मीदवार ने सभी आवश्यकताओं का पालन किया है और परामर्श प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय पर प्रत्येक दस्तावेज प्रस्तुत किया है और इस संबंध में छात्र की ओर से कोई देरी नहीं की गई है।

5.5 . यह पता लगाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि क्या उम्मीदवार ने समय पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और शरारती व्यक्तियों को तुच्छ याचिकाएं दायर करने से बचने के लिए न्यायालय देरी का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकता हैः

(i) जहां उम्मीदवार चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना/सूचना बुलेटिन/प्रॉस्पेक्टस में किसी भी प्रावधान की वैधता को चुनौती दे रहा है, तो उम्मीदवार ने परामर्श शुरू करने से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया होगा।

प्रक्रिया;

(ii) जहां उम्मीदवार अधिसूचना/सूचना बुलेटिन/प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित किसी भी पात्रता मानदंड को चुनौती दे रहा है।

संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सामान्य परामर्श, फिर एस. कृष्ण शारदा बनाम।

उम्मीदवार ने परामर्श प्रक्रिया शुरू होने से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया होगा, यानी पहले दौर की

परामर्श;

(iii) जहां उम्मीदवार पहले दौर की परामर्श प्रक्रिया को ही चुनौती दे रहा है, तो उम्मीदवार ने पहले दौर की परामर्श प्रक्रिया के तुरंत बाद और दूसरे दौर की शुरुआत से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया होगा।

परामर्श देना;

(iv) जहां उम्मीदवार दूसरे दौर की परामर्श प्रक्रिया को चुनौती दे रहा है, तो उस मामले में छात्र को इसके तुरंत बाद लेकिन प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कट ऑफ/अंतिम तिथि से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

5.6 एम. सी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विकास सिंह आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि यदि उपरोक्त सभी पूर्व-अपेक्षाएं पूरी की जाती हैं

उम्मीदवार द्वारा और न्यायालय की राय है कि एक मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले और असाधारण परिस्थितियों में पाया गया है और न्यायालय की राय है कि ऐसे छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष में समायोजित किया जा सकता है, उस मामले में भी कुल स्वीकृत प्रवेश में से किसी दिए गए शैक्षणिक वर्ष में किसी संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय में दो से अधिक सीटों को पिछले शैक्षणिक वर्ष के छात्रों द्वारा भरा जाना चाहिए जो अधिकारियों की लापरवाही और गलती के कारण एमबीबीएस छात्रों से वंचित रहे हैं।

6. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना।

इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत कानून का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक मेधावी उम्मीदवार को क्या राहत का अधिकार है जब यह पाया जाता है कि एक मेधावी उम्मीदवार को संबंधित अधिकारियों द्वारा मनमाने और अवैध रूप से प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है और गलती उम्मीदवार के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और उम्मीदवार ने अपने कानूनी अधिकारों का तेजी से और बिना देरी के पीछा किया है, क्या ऐसी स्थिति में केवल मुआवजा देना उचित और पर्याप्त राहत कहा जा सकता है? विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या उपरोक्त पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, न्यायालय प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि यानी 30 सितंबर समाप्त होने के बाद भी राहत और प्रवेश का आदेश दे सकता है और क्या न्यायालय उसी वर्ष या अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश से परे प्रवेश दे सकता है?

6.1 . आशा (उपरोक्त) के मामले में निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए थेः

न्यायालय के समक्ष विचार के लिएः

" (क) क्या पाठ्यक्रमों और कॉलेजों की वरीयता के लिए योग्यता के नियम का सख्ती से पालन करने के सिद्धांत का कोई अपवाद है?

(ख) क्या संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 30 सितंबर की कट-ऑफ तिथि एक ऐसी तिथि है जो किसी भी अपवाद को स्वीकार करती है? (ग) अदालतें क्या राहत दे सकती हैं और वे नियमों और विनियमों के संदर्भ में योग्यता, निष्पक्षता और प्रवेश में पारदर्शिता के नियम का पालन सुनिश्चित करते हुए इसे किस हद तक ढाल सकती हैं?

(घ) आदेश पारित करने से पहले किन मुद्दों से निपटने की आवश्यकता है और अदालत द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष जो अधिक न्यायसंगत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी

नियमों के ढांचे के सख्त अनुपालन में और

इस विषय को नियंत्रित करने वाले इस न्यायालय के निर्णय?

(ऊपर) विषय पर इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया:

इस निर्णय के प्रारंभिक भाग में। 38.1 प्रश्न (अ): पाठ्यक्रमों और कॉलेजों की वरीयता के लिए योग्यता का नियम कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता है। यह एक पूर्ण नियम है और सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों को इसका पालन करना आवश्यक है।

सख्ती से और बिना किसी बाधा के शासन करें।

38.2 प्रश्न (ख): 30 सितंबर निस्संदेह अंतिम तिथि है जिसके द्वारा प्रवेश प्राप्त छात्रों को अपने संबंधित को रिपोर्ट करना चाहिए।

स्पष्ट भेदभाव या मनमानेपन या दबाव का आपात स्थिति में प्रवेश की अनुमति हो सकती है लेकिन इस तरह की शक्ति का उपयोग अदालतों द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, यह दुर्लभतम मामलों में होगा और जहां न्याय के उद्देश्यों को बाधित किया जाएगा या कानून की प्रक्रिया निराश होगी कि अदालतें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की 30 सितंबर की समय सीमा के बाद पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों को प्रवेश देने के अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगी। हालाँकि, यह केवल तभी किया जा सकता है जब प्रिया गुप्ता में इस न्यायालय द्वारा बताई गई शर्तें और यह निर्णय असाधारण रूप से संतुष्ट पाए जाते हैं और इसके कारण सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा दर्ज किए जाते हैं।

एस. कृष्णा शारदा बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

38.3 . प्रश्न (ग) और (घ): जहाँ भी अदालत को पता चलता है कि अधिकारियों की कार्रवाई मनमाने ढंग से की गई है, के निर्णयों के विपरीत
इस न्यायालय और विवरण पत्रिका के नियमों, विनियमों और शर्तों का उल्लंघन, जिससे छात्रों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,

न्यायालय ऐसे छात्रों को मुआवजा देने के साथ-साथ गलती करने वाले अधिकारियों/अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सीधी शुरुआत करेगा।
न्यायालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसके तहत कार्यवाही

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उनके कद और सशक्तिकरण की परवाह किए बिना शुरू किया गया है। जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रवेश अदालतों द्वारा कानूनी रूप से अस्थिर पाए जाते हैं और जहां छात्रों को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है, केवल यह तथ्य कि ऐसे छात्रों ने एक वर्ष या उससे अधिक समय शैक्षणिक पाठ्यक्रम में लगाया है।

पाठ्यक्रम अपने आप में उन्हें जारी रखने की अनुमति देने का आधार नहीं है बेशक। '

इस न्यायालय ने अदालतों को अंतरिम आदेश देने के लिए भी आगाह किया जहां प्रवेश न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय हैं। इस न्यायालय ने टिप्पणी की निम्नानुसारः

" 39. हम पूरी विनम्रता के साथ प्रिया गुप्ता मामले में सभी उच्च न्यायालयों से किए गए अनुरोध को दोहराते हैं कि न्यायालयों को अंतरिम आदेश देने से बचना चाहिए जहां प्रवेश न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय है। यहां तक कि अगर उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें आम तौर पर पेशेवर पाठ्यक्रमों की आगे की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय के आदेशों के तहत पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले छात्र अंतिम परीक्षा में किसी भी इक्विटी का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

मामले का निर्णय और न ही इसे अदालतों के साथ तोलना चाहिए सक्षम अधिकारिता "।

6.2 . हालाँकि, बाद में जैस्मीन कौर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण लिया जाता है, जो उनके द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

आशा (सुप्रा) के मामले में यह न्यायालय। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी स्थिति में मुआवजे का अनुदान ही एकमात्र राहत है जो दी जा सकती है और जिसका एक उम्मीदवार हकदार है।

7. आशा (सुप्रा) के मामले में विरोधाभासी विचारों और निर्णयों को देखते हुए और जैस्मीन कौर (सुप्रा) के मामले में प्रश्न

जिसे बड़ी पीठ को भेजा गया है, वह है जहाँ एक छात्र, योग्य उम्मीदवार को बिना किसी गलती के अवैध रूप से और मनमाने तरीके से प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है और जिसने [2019] 15 एस. सी. आर. के बिना अपने कानूनी अधिकार का तेजी से पीछा किया है।

देरी, एक राहत के रूप में प्रवेश से इनकार किया जा सकता है, क्योंकि 30 सितंबर की कट-ऑफ तिथि समाप्त हो गई है और ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा जो राहत दी जा सकती है वह केवल उचित मुआवजा देने के लिए है? एक अन्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा क्या राहत दी जा सकती है? .

7.1 . आशा (सुप्रा) के मामले में और जैस्मीन कौर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों और अंतिम निष्कर्ष को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है।

इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद आशा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने अंततः पैरा 38 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

" 38. अब, हम इस निर्णय के प्रारंभिक भाग में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ेंगे। 38.1 प्रश्न (अ): पाठ्यक्रमों और कॉलेजों की वरीयता के लिए योग्यता का नियम कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता है। यह एक पूर्ण नियम है और सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों को इसका पालन करना आवश्यक है।

सख्ती से और बिना किसी बाधा के शासन करें।

38.2 प्रश्न (ख): 30 सितंबर निस्संदेह अंतिम तिथि है जिसके द्वारा प्रवेश प्राप्त छात्रों को अपने संबंधित को रिपोर्ट करना चाहिए।

असफल महाविद्यालय। सामान्य पाठ्यक्रम में, प्रवेश संबंधित शैक्षणिक वर्ष के 15 सितंबर तक (प्रिया गुप्ता में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में) दूसरी परामर्श आयोजित करके बंद होना चाहिए। इसके बाद, केवल असंदिग्ध भेदभाव या मनमानेपन या दबाव के बहुत दुर्लभ और असाधारण मामलों में

आपात स्थिति में प्रवेश की अनुमति हो सकती है लेकिन इस तरह की शक्ति का उपयोग अदालतों द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, यह दुर्लभतम मामलों में होगा और जहां न्याय के उद्देश्यों को बाधित किया जाएगा या कानून की प्रक्रिया निराश होगी कि अदालतें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की 30 सितंबर की समय सीमा के बाद पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों को प्रवेश देने के अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगी। हालाँकि, यह केवल तभी किया जा सकता है जब प्रिया गुप्ता और इस फैसले में इस अदालत द्वारा बताई गई शर्तें

असाधारण रूप से संतुष्ट पाए जाते हैं और इसके कारणों को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाता है।

38.3 . प्रश्न (ग) और (घ): जहाँ कहीं भी अदालत को पता चलता है कि अधिकारियों की कार्रवाई मनमाने ढंग से की गई है, के निर्णयों के विपरीत यह न्यायालय और एस. कृष्ण शारदा बनाम के नियमों, विनियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है।

आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

विवरण पत्रिका, जो छात्रों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करती है,

न्यायालय ऐसे छात्रों को मुआवजा देने के साथ-साथ गलती करने वाले अधिकारियों/अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सीधी शुरुआत करेगा। न्यायालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसके तहत कार्यवाही

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उनके कद और सशक्तिकरण की परवाह किए बिना शुरू किया गया है। जहाँ संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रवेश पाए जाते हैं

न्यायालयों को कानूनी रूप से अस्थिर होना और जहां छात्रों को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है, केवल यह तथ्य कि ऐसे छात्रों ने एक या एक वर्ष के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश किया है, अपने आप में उन्हें जारी रखने की अनुमति देने का आधार नहीं है।

बेशक "। इसके बाद पैराग्राफ 39 में इस न्यायालय ने कहा और निर्देश दिया कि

" 39. हम पूरी विनम्रता के साथ प्रिया गुप्ता मामले में सभी उच्च न्यायालयों से किए गए अनुरोध को दोहराते हैं कि न्यायालयों को अंतरिम आदेश देने से बचना चाहिए जहां प्रवेश न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय है। यहां तक कि अगर उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें आम तौर पर पेशेवर पाठ्यक्रमों की आगे की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय के आदेशों के तहत पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले छात्र मामले के अंतिम निर्णय पर किसी भी समानता का दावा करने के हकदार नहीं होंगे और न ही इसे न्यायालयों के साथ तोलना चाहिए।

सक्षम अधिकारिता "।

7.2 . हालाँकि, जैस्मीन (सुप्रा) के मामले में बाद के निर्णय में (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद अंततः पैराग्राफ 33 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 33.1 . व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश से संबंधित अनुसूची का सख्ती से और ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और अदालतों या बोर्ड द्वारा किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और मध्यधारा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 33.2 असाधारण परिस्थितियों में, यदि अदालत को पता चलता है कि उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है, यानी उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकार का तेजी से पीछा किया है और केवल अधिकारियों की ओर से गलती है या प्रवेश देने की प्रक्रिया में नियमों और विनियमों के साथ-साथ संबंधित सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है जो अधिकार [2019] 15 एस. सी. आर. का उल्लंघन करेगा।

प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों के साथ समानता और समान व्यवहार और निर्धारित समय के भीतर प्रवेश की राहत का निर्देश दिया जा सकता है, केवल ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवार को असाधारण राहत प्रदान करना पूरी तरह से उचित और उचित होगा।

33.3 यदि किसी उम्मीदवार का चयन किसी विशेष शैक्षणिक अवधि के दौरान नहीं किया जाता है

वर्ष संस्थानों/प्राधिकरणों की गलती के कारण और इस प्रक्रिया में यदि सीटें भरी जाती हैं और समय-सारणी के ग्रहण के कारण प्रवेश देने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उम्मीदवार को बिना किसी गलती के पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए और न्यायालय नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा देने पर विचार कर सकता है, यदि कोई हो।

स्वयं चयन प्रक्रिया के लिए और अपने गैर-चयन को जानने के बाद, वह बाद में मुड़कर यह तर्क नहीं दे सकता कि चयन की प्रक्रिया अनुचित थी। 33.6 . यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार अदालत के समक्ष राहत का दावा करने के अपने अधिकार को तुरंत स्वीकार करता है या माफ कर देता है, तो ऐसे मामलों में, कानूनी मैक्सिम विजिलेंटिबस एट नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट, जिसका अर्थ है कि इक्विटी केवल सतर्क लोगों की सहायता करती है, न कि उन लोगों की जो अपने अधिकारों पर सोते हैं, अत्यधिक उपयुक्त होगा।

33.7 . विवरण पुस्तिका को अवैध या अमान्य घोषित किए जाने के बावजूद कोई राहत नहीं दी जा सकती है, अगर इसे तुरंत चुनौती नहीं दी जाती है। एक बार जब उम्मीदवार को पता चल जाता है कि वह विवरण पत्रिका के मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उसने आवेदन को प्राथमिकता देने के बाद ही इसे चुनौती देने का विकल्प चुना और उसके बाद पात्रता के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है।

33.8 . अगले वर्ष की अनुमत सीटों के साथ एक वर्ष की खाली सीटों की दूरबीन नहीं हो सकती है, यानी सीटों को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि कोई उम्मीदवार कितना भी मेधावी हो और प्रवेश का हकदार हो। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय उम्मीदवार को कोई राहत नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह उम्मीदवार पर निर्भर करता है कि वह अगले शैक्षणिक वर्ष में फिर से आवेदन करे।

33.9 . किसी भी समय अदालत या बोर्ड द्वारा सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है जो विशेष रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद के दायरे में है। 33.10 . उपर्युक्त सिद्धांतों में से प्रत्येक को प्रत्येक मामले के अद्वितीय और विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए और किसी भी दो मामलों को समान नहीं माना जा सकता है।

हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैस्मीन कौर (सुप्रा) मामले में इस अदालत के समक्ष मामले में यह विशेष रूप से इस अदालत द्वारा पाया गया था

कि उम्मीदवार की ओर से देरी हुई थी। यह विशेष रूप से पाया गया कि चुनौती देने में उम्मीदवार का आचरण, अर्थात् विवरण पत्रिका जारी होने के तीन महीने बाद और उसके बाद पत्र पेटेंट अपील दायर करने में अपनी समय सीमा निर्धारित करने में, जिसके परिणामस्वरूप खंड पीठ ने केवल अप्रैल, 2014 के महीने में अपील का निर्णय लिया, जिस समय तक शैक्षणिक वर्ष का बड़ा हिस्सा पार हो गया है, उम्मीदवार को किसी भी राहत से वंचित कर देता है और मामला किसी भी असाधारण परिस्थितियों में नहीं आएगा।

8. हालांकि, सवाल यह है कि एक छात्र के संबंध में, एक मेधावी उम्मीदवार को बिना किसी गलती के अवैध रूप से प्रवेश से वंचित कर दिया गया है और

जिसने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकारों को तेजी से आगे बढ़ाया है, वह विशेष रूप से एमबीबीएस जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की किसी भी राहत का हकदार है।

आशा (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित मुआवजे की राहत? उपरोक्त प्रश्न पर केवल उन मामलों में विचार किया जाना आवश्यक है जहां (i) उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है; (ii) उम्मीदवार ने अपने अधिकारों और कानूनी उपायों को तेजी से और बिना किसी देरी के आगे बढ़ाया है; (iii) जहां अधिकारियों की ओर से गलती है और नियमों और विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है; और (iv) उम्मीदवार अंतिम उम्मीदवार की तुलना में अधिक मेधावी पाया जाता है जिसे प्रवेश दिया गया है।

विशेष रूप से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में। पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र/उम्मीदवार के लिए विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इसी तरह, किसी व्यक्ति के जीवन में चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना ही बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार/छात्र और यहाँ तक कि एक आदमी का सपना। उपरोक्त के आलोक में, विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या एक मेधावी के लिए मुआवजा

जिस उम्मीदवार को समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाकर अवैध और मनमाने तरीके से प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, उसे न्यायसंगत और न्यायसंगत राहत कहा जा सकता है?

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.2 . समान और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 का एक घटक है। जैसा कि इस न्यायालय आशा (सुप्रा) द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि

पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया प्रवेश से जुड़े प्रत्येक कानूनी प्राधिकरण का कर्तव्य है। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार के साथ उचित व्यवहार से इनकार करने से न केवल अनुच्छेद 14 के तहत उसके अधिकार का उल्लंघन होगा, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत उसके अधिकार को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा।

भारत का संविधान। यह घोषणा करने का एक स्वाभाविक परिणाम कि एक

प्रशासनिक अधिनियम विशेष रूप से अवैध रूप से प्रवेश से इनकार करना और किसी उम्मीदवार/छात्र की कोई गलती नहीं होने पर अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है कि घायल नागरिक को उसकी मूल स्थिति में वापस लाया जाना चाहिए। इस मायने में, प्राथमिक राहत पुनर्स्थापन है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है,

एक मेधावी छात्र जो चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है, छात्र/उम्मीदवार के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और एक मेधावी उम्मीदवार को प्रवेश से इनकार करना, हालांकि उसकी कोई गलती उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। क्षतिपूर्ति एक अतिरिक्त उपाय हो सकता है लेकिन प्रतिस्थापन उपचार का विकल्प नहीं हो सकता है। चिकित्सा प्रवेश के मामले में, यहां तक कि बाद के वर्ष में एक सीट प्रदान करने के प्रतिस्थापन उपचार से एक मेधावी उम्मीदवार को एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष का नुकसान होगा, जिसकी वास्तविक रूप से भरपाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वर्ष के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान किया जा सकता है, लेकिन एक मेधावी उम्मीदवार को प्रवेश से इनकार करने की भरपाई मौद्रिक रूप से नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से इनकार

बिना किसी गलती के एक मेधावी उम्मीदवार को चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश

यद्यपि उसने समय पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इसके बावजूद कोई न्यायसंगत और न्यायसंगत राहत नहीं देना उससे इनकार करना होगा।

न्याय। इसलिए, सवाल यह है कि अदालत क्या राहत दे सकती है जिसके द्वारा एक उम्मीदवार के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार की रक्षा की जाती है और साथ ही न तो अन्य उम्मीदवार/छात्र के साथ अन्याय होता है और न ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ समझौता किया जाता है। इसलिए, एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। हालांकि, साथ ही यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि जैस्मीन कौर (सुप्रा) मामले में इस अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि ऐसे उम्मीदवार को केवल यही राहत दी जा सकती है -

केवल क्षतिपूर्ति ही अच्छा कानून नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि अगले शैक्षणिक वर्ष में ऐसे उम्मीदवार/छात्र को राहत देने और अगले वर्ष और स्वीकृत प्रवेश में उसे समायोजित करने से अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश पाने वाले किसी अन्य उम्मीदवार/छात्र के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है और वह भी बिना किसी गलती के। इसलिए हमारा विचार है कि अपवादात्मक और दुर्लभतम

मामलों में और यदि जैस्मीन कौर (सुप्रा) के मामले में अनुच्छेद 33.3 में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया जाता है, तो न्यायालय एस. कृष्ण शारदा बनाम.

राज्य

एन. डी. एच. आर. ए. प्रदेश और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

परीक्षा समाप्त होने के बाद भी प्रवेश देने से उम्मीदवार को राहत।

ऊपर की गई चर्चा/टिप्पणियों के आलोक में, एक उम्मीदवार/छात्र जिसे बिना किसी गलती के अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से या तर्कहीन रूप से आर. एस. ई. में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है।

जिसने समय पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और ताकि यह देखा जा सके कि पीड़ित उम्मीदवार को नीचे दिए गए संदर्भ में बिना किसी गलती के पीड़ित नहीं होना पड़ेः

जल्द से जल्द। असाधारण परिस्थितियों में, यदि अदालत को पता चलता है कि उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है और उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकार का तेजी से पीछा किया है और केवल अधिकारियों की ओर से गलती है और/या प्रवेश देने की प्रक्रिया में नियमों और विनियमों के साथ-साथ संबंधित सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है जो प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों के साथ समानता और समान व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन करेगा और यदि निर्धारित समय-सारणी-30 सितंबर समाप्त हो गई है, तो ऐसा करना चाहिए।

पूर्ण न्याय, असाधारण के तहत न्यायालय

परिस्थितियों में और दुर्लभतम मामलों में

उसी वर्ष सीटों को बढ़ाने का निर्देश देकर प्रवेश, हालांकि, एक या दो से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए और इस तरह के प्रवेश का आदेश उचित समय के भीतर दिया जा सकता है, यानी 30 सितंबर से एक महीने के भीतर, यानी कट ऑफ डेट और किसी भी परिस्थिति में, न्यायालय उसी वर्ष 30 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रवेश का आदेश नहीं देगा। हालांकि,

यह देखा गया है कि इस तरह की राहत केवल में दी जा सकती है

असाधारण परिस्थितियों में और दुर्लभतम मामलों में। ऐसी घटना के मामले में, न्यायालय उस उम्मीदवार को दिए गए प्रवेश को रद्द करने का आदेश भी पारित कर सकता है जो श्रेणी की योग्यता सूची में सबसे नीचे है, यदि प्रवेश अधिक मेधावी उम्मीदवार को दिया जाता, जिसे अवैध रूप से प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, तो [2019] 15 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

यदि न्यायालय इसे उचित और उचित समझता है, तो एक को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रवेश नहीं मिला है

जिस छात्र का प्रवेश रद्द करने की मांग की जाती है।

कि एक उम्मीदवार को मेधावी पाया जाता है और ऐसा उम्मीदवार/छात्र ने जल्द से जल्द अदालत का दरवाजा खटखटाया है और बिना किसी देरी के, अदालत राहत दे सकती है और अगले शैक्षणिक वर्ष में ऐसे उम्मीदवार को प्रवेश देने का निर्देश दे सकती है, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देकर उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं जो मामले में और ऐसी घटना के मामले में उचित मानी जा सकती है और यदि यह पाया जाता है कि प्रबंधन गलती पर था और गलत तरीके से मेधावी में प्रवेश से इनकार कर दिया गया था।

उम्मीदवार, उस मामले में, न्यायालय उस वर्ष के प्रबंधन कोटे में सीटों की संख्या को कम करने का निर्देश दे सकता है,

अर्थात् जिन छात्रों/छात्रों को अवैध रूप से प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, उन्हें अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रबंधन कोटे में आवंटित सीटों में से समायोजित किया जाएगा। क्षतिपूर्ति का अनुदान एक अतिरिक्त उपाय हो सकता है लेकिन संस्थागत उपचारों का विकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए, एक उपयुक्त मामले में न्यायालय ऐसे मेधावी उम्मीदवार को मुआवजा दे सकता है जिसे बिना किसी गलती के एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष गंवाना पड़ता है और जिसे उसी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश की कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश निम्नलिखित से संबंधित हैं -

केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश और हमने सौदा नहीं किया है

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के साथ।

उपरोक्त के दृष्टिकोण से, और (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय या उपरोक्त नियम के विपरीत कोई अन्य निर्णय। आशा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

उपरोक्त सीमा तक दृढ़ किया गया। संदर्भ का जवाब दिया गया है

संदर्भ ने जवाब दिया।